



श्री भजन लाल शर्मा

माननीय मुख्यमंत्री
राजस्थान सरकार



श्री गौतम कुमार दक

माननीय सहकारिता राज्य मंत्री
राजस्थान सरकार



राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना



दि राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर

1. मुख्य बिन्दु:-

- राशि रुपये 1 लाख तक का अल्पकालीन ऋण एक वर्ष की अवधि हेतु।
- ऋण का समय पर अथवा समय पूर्व चुकारा करने पर शून्य ब्याज अर्थात् कोई ब्याज देय नहीं।
- गाय/भैंस हेतु शैड, खेली का निर्माण तथा दुग्ध/चारा/बांटा संबंधी उपकरण खरीदने हेतु ऋण।

2. पात्रता –

- आवेदक राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता हो।
- आवेदक परिवार गोपालन (गाय/भैंस) का कार्य करता हो।
- एक गोपालक परिवार से एक सदस्य को ऋण।
- आवेदक द्वारा दुग्ध का बेचान डेयरी सहकारी समिति को किया जाना अनिवार्य है।
- आवेदक द्वारा पूर्व में दो से अधिक ऋण नहीं ले रखें हो।

3. आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज –

- जन आधार एवं आधार कार्ड की प्रति।
- पासपोर्ट साईज फोटो।
- प्राथमिक डेयरी समिति से निर्धारित प्रारूप में अनुशंसा पत्र, प्रारूप राज सहकार वेबसाईट पर उपलब्ध।
- प्राथमिक डेयरी समिति द्वारा जिस बैंक खाते में दुग्ध का भुगतान किया जाता है उस खाते की पासबुक की प्रति।
- आवेदक यदि पैक्स/लैम्प्स का सदस्य है तो सदस्यता क्रमांक।
- यदि केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा में खाता है तो पासबुक की प्रति।
- प्रस्तावित गोपालन कार्यो हेतु अनुमानित लागत का विवरण।

- ऋण की सुरक्षा में प्रस्तावित सम्पत्ति के हकविलेखों (पट्टा) की प्रति।
- दो जमानतदारों के नाम मय आधार कार्ड व बैंक खाते की प्रति सहित।

4. आवेदन प्रक्रिया –

- सुलभ ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया।
- जन आधार कार्ड एवं ओटीपी के माध्यम से राज सहकार पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करे।
- एसएमएस के माध्यम से ऋण स्वीकृति की सूचना।
- निवास क्षेत्र की पैक्स/लैम्प्स के व्यवस्थापक द्वारा दस्तावेजों की पूर्ति एवं अतिरिक्त सूचनाएँ चाहे जाने पर व्यवस्थापक से सम्पर्क करे।
- ऋण स्वीकृत होने पर केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा में खाता खुलवाकर आवश्यक दस्तावेज निर्धारित राशि के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पत्रों पर निष्पादित करने होंगे।

5. ऋण का चुकारा –

- प्राथमिक डेयरी सहकारी समिति द्वारा जिस बैंक खाते में दुग्ध का भुगतान किया जा रहा है उस खाते से ऋण के चुकारे हेतु समान 12 मासिक किश्तों का ईसीएस मेन्डेट उवलब्ध करवाना होगा।
- शून्य ब्याज दर का लाभ उठाने हेतु एक वर्ष पूर्ण होने की तिथी अथवा पूर्व ही सम्पूर्ण ऋण बकाया का चुकारा करना आवश्यक है।
- ऋण के चुकारे में दोष करने पर 10.25 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज एवं 2 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज देय होगा।
- ऋण का समय पर अथवा समय पूर्व चुकारा कर आगामी एक वर्ष हेतु नवीन ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

6. अन्य –

- आवेदक से कोई प्रोसेसिंग शुल्क वसूल नहीं किया जावेगा।
- ऋणी एवं पशुओं सहित ऋण से सृजित सम्पत्तियों का बीमा अनिवार्य रूप से करवाना होगा।
- आवेदक द्वारा योजना के प्रावधानों सहित बैंक द्वारा समय समय पर लागू शर्तों की पूर्ण पालना करनी होगी।
- बैंक द्वारा वांछित दस्तावेज निष्पादित करने होंगे।
- अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंक से सम्पर्क किया जा सकता है।

राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

क्रमांक: प.17(3)सह / 2024-03321

जयपुर, दिनांक:

रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियां,
राजस्थान, जयपुर।

विषय: बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के बिन्दु सं. 24 के क्रियान्वयन हेतु
'राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना' जारी करने
बाबत।

सन्दर्भ: आपके कार्यालय की एकल ई-फाईल F 58(11)CDR/B-2/POINT
NO-24/2024-25-09421 से प्रेषित प्रकरण।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपकी संदर्भित पत्रावली से प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में बिन्दु सं. 24 के क्रियान्वयन हेतु "राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना" का वित्त (व्यय-4) विभाग द्वारा अंकित टिप्पणी (वित्त विभाग की आई.डी. सं. 182400764 दिनांक 20.06.2024) के अनुसार अनुमोदन किया जाता है।

उक्त अनुमोदित योजना की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न: यथावर्णित।

भवदीय,

(दिनेश कुमार जांगिड़)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय, सहकारिता विभाग, राजस्थान।
- निजी सचिव, शासन सचिव, सहकारिता विभाग।
- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4)विभाग।
- संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (सं.वि.)विभाग।
- प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि., जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Dinesh Kumar
Jangid
Designation : Joint Secretary
Date: 2024.06.24 14:27:32 IST
Reason: Approved

सहकारिता विभाग, कमरा नं. 8221, उत्तरी-पश्चिमी भवन, शासन सचिवालय, जनपथ, जयपुर - 302005

दूरभाष नं. 0141-5153222, 5153223 एक्स. 5020, ई-मेल- ds.coop@rajasthan.gov.in

राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना

योजना का नाम:- "राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना"

1. **योजना का उद्देश्य:-** वर्ष 2024-25 के बजट के सम्बन्ध में प्रस्तुत वक्तव्य दिनांक 08.02.2024 के बिन्दु संख्या 24 पर निम्नानुसार घोषणा की गई है:-

"ग्रामीण अंचल में निवासरत परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि के साथ-साथ dairy/दुग्ध उत्पादन पर भी अत्यधिक निर्भर है। हमारी सरकार प्रदेश में गौवंश संरक्षण के साथ ही, इस कार्य से जुड़े परिवारों को सहायता देने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी। इसी दृष्टि से dairy से सम्बन्धित गतिविधियों यथा गौवंश हेतु shed, खेती का निर्माण तथा दुग्ध/चारा/बांटा सम्बन्धी उपकरण खरीदने हेतु, एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त Short Term ऋण उपलब्ध कराने के लिए Kisan Credit Card की तर्ज पर 'Gopal Credit Card' (GCC) योजना प्रारम्भ करने की घोषणा करती हूँ। इस योजना में, प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपालक परिवारों को ऋण उपलब्ध कराये जायेंगे। इस योजना पर आगामी वर्ष 150 करोड़ रुपये व्यय होंगे"

2. पात्रता:-

- 2.1 योजनान्तर्गत राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे गोपालक परिवार (स्वयं, पत्नी/पति, आश्रित माता-पिता, 25 वर्ष से कम अविवाहित पुत्र-पुत्री एवं परित्यक्ता पुत्री, विधवा पुत्री, तलाकशुदा पुत्री) पात्र होंगे। आवेदक परिवार को राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- 2.2 योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले गोपालक (गाय एवं भैस पालक) जो स्थानीय डेयरी सहकारी समिति (DCS) के सदस्य है एवं उनके द्वारा दूध का बेचान डेयरी सहकारी समिति को किया जाता है, ही ऋण हेतु योजनान्तर्गत प्राप्त होंगे।
- 2.3 डेयरी सहकारी समिति (DCS) के सचिव द्वारा अनुमानित ऋण राशि की अनुशंसा पर ही योजनान्तर्गत गोपालक को ऋण दिया जा सकेगा।
- 2.4 गोपालक परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य योजनान्तर्गत डेयरी गतिविधियों हेतु ऋण प्राप्त कर सकेगा। परिवार से अभिप्राय जनआधार कार्ड में वर्णित सदस्यों से होगा।
- 2.5 आवेदक ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र का निवासी हो एवं उसके द्वारा योजना के उद्देश्य में वर्णित व्यवसाय ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्य क्षेत्र में किया जा रहा हो।
- 2.6 आवेदक आधार कार्डधारक एवं जनआधार कार्डधारक हो।
- 2.7 आवेदक का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित क्रेडिट इंफोर्मेशन कम्पनीज में विपरीत स्कोर नहीं हो तथा सिविल में न्यूनतम 600 स्कोर होना अपेक्षित है। अपर्याप्त क्रेडिट हिस्ट्री अर्थात् -1 स्कोर पर विचार किया जा सकेगा।

3. लाभार्थी की पहचान एवं आवेदन प्रक्रिया:-

- 3.1 प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा जिले को आवंटित कुल लक्ष्य संख्या को ग्राम सेवा सहकारी समितियों में विभक्त कर लक्ष्यों का आवंटन किया जावेगा। योजना की क्रियान्विति पोर्टल के माध्यम से की जावेगी। पोर्टल पर आवेदक द्वारा डेयरी समिति की अनुशंसा युक्त, आधार आधारित अभिप्रमाणन उपरान्त प्राप्त ऑनलाईन आवेदन ग्राम सेवा सहकारी समिति को



Signature valid

Digitally signed by Dinesh Kumar Jangid
Designation : Joint Secretary
Date: 2024.06.24 17:08:15 IST
Reason: Approved

प्राप्त होंगे जो पात्रता मापदण्डों के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का पूर्ण परीक्षण कर ऋण दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में अपनी अनुशंसा शाखा प्रबन्धक को ऑनलाईन अग्रेषित करेंगे।

- 3.2 शाखा द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर ऑनलाईन आवेदन स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय को अग्रेषित किये जावेंगे। शाखा द्वारा ऋण अनुशंसा से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित क्रेडिट इंफोर्मेशन कम्पनीज से आवेदक एवं जमानतदार की रिपोर्ट प्राप्त कर परीक्षण उपरांत साख संतोषप्रद होने की सुनिश्चितता की जावे।
- 3.3 शाखा द्वारा आवेदक को स्वीकृत ऋण का विवरण क्रेडिट इंफोर्मेशन कम्पनीज की वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा।
- 3.4 एक गोपालक परिवार से एक ही सदस्य को योजनांतर्गत ऋण दिया जा सकेगा।
- 3.5 क्रेडिट इंफोर्मेशन कम्पनीज की रिपोर्ट अनुसार उक्त आवेदित ऋण को सम्मिलित करते हुए आवेदक के पक्ष में तीन से अधिक ऋण न हो।

4. ऋण राशि:-

- 4.1 योजनान्तर्गत अधिकतम राशि रुपये 1.00 लाख के ऋण स्वीकृत किये जा सकेंगे।
- 4.2 **सम्पूर्ण ऋण, साख सीमा के रूप में स्वीकृत किया जावेगा।** साख सीमा राशि का ऑकलन व्यवसाय की पूँजीगत आवश्यकताओं, कार्यशील पूँजी तथा रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जावेगा।
- 4.3 केन्द्रीय सहकारी बैंकों/ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा भारत सरकार, राज्य सरकार एवं नाबार्ड की विभिन्न डेयरी गतिविधियों हेतु प्रचलित ऋण योजनाओं में उक्त योजनाओं की अधिकतम ऋण सीमा तक का ऋण दिया जा सकेगा, किन्तु पात्र चयनित गोपालक परिवारों के मामले में अनुदान राशि की गणना अधिकतम ऋण राशि रुपये 01.00 लाख तक की राशि पर ही की जावेगी। इस योजना के लिए नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त किया जा सकेगा। इस योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा इन प्रकरणों में भी अधिकतम 10.25 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जावेगा।

5. ऋण का चुकारा:-

- 5.1 योजनान्तर्गत स्वीकृत साख सीमा का प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाया जाना होगा अर्थात् एक वर्ष पूर्ण होने की दिनांक से पूर्व खाते में बकाया राशि जमा करवाकर साख सीमा को अगले वर्ष के लिए नवीनीकृत करवाना होगा।
- 5.2 ऋणी गोपालक का बैंक खाता, जिसमें डेयरी द्वारा खरीदे गये दूध का भुगतान जमा करवाया जाता है, से मासिक वसूली हेतु स्वीकृत ऋण राशि की 12 समान मासिक किश्तों में ECS Mandate प्राप्त किया जावेगा।
- 5.3 गोपालक के खाते से मासिक वसूली का प्रावधान इस उद्देश्य से किया गया है कि एक वर्ष पूर्ण होने पर गोपालक पर एक साथ राशि के चुकारे का भार नहीं आवे। किश्तों के चुकारे में दोष होने पर खाते को अवधि पार नहीं माना जावेगा। एक वर्ष पूर्ण होने पर राशि के चुकारा नहीं होने पर खाते का अवधिपार माना जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by Dinesh Kumar
RajKaj R Jangid
825555
Designation : Joint Secretary
Date: 2024.06.24 17:08:15 IST
Reason: Approved

6. ऋण पर ब्याज:-

- 6.1 योजनान्तर्गत वितरित ऋणों पर बैंकों द्वारा अधिकतम 10.25 प्रतिशत की दर ब्याज प्रभारित किया जावेगा। साख सीमा का समय पर नवीनीकरण करवाने वाले सदस्यों/परिवार से कोई ब्याज वसूल नहीं किया जावेगा। बैंकों द्वारा प्रभारित ब्याज की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जावेगी। सीजीटीएमएसई को चूककर्ताओं के दावें चूक की दिनांक से 18 माह बाद प्रस्तुत किये जा सकते हैं अतः राज्य सरकार द्वारा चूककर्ता ऋण खातों का 18 माह की अवधि का ब्याज भुगतान किया जाना होगा।
- 6.2 राशि रुपये 5000 करोड़ के ऋण वितरण के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 10.25 प्रतिशत ब्याज अनुदान की राशि का प्रावधान किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्षों में भी निरन्तर ब्याज अनुदान राशि का प्रावधान किया जायेगा।
- 6.3 साख सीमा का एक वर्ष पूर्ण होने तक चुकारा कर नवीनीकृत नहीं करवाने वाले ऋणी से चूक की अवधि हेतु साधारण ब्याज के साथ-साथ अधिकतम 2 प्रतिशत की दर से दण्डनीय ब्याज भी वसूल किया जा सकेगा।
- 6.4 ऋण आवेदन के साथ आवेदक से कोई प्रोसेसिंग फीस चार्ज नहीं की जा सकेगी।

7. नोडल विभाग:-

- 7.1 योजना की क्रियान्विति हेतु राज्य सरकार के स्तर पर सहकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। नोडल विभाग योजना की क्रियान्विति की नियमित समीक्षा किया जाना सुनिश्चित करेगा।
- 7.2 राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों हेतु राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि., जयपुर नोडल एजेंसी होगा।

8. लक्ष्यों का आवंटन:-

राज्य में बैंकों द्वारा वर्ष 2024-25 में ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले 05.00 लाख कृषकों/डेयरी गतिविधियों करने वाले गोपालक परिवारों को योजनान्तर्गत ऋण उपलब्ध करवाये जावेंगे। लक्ष्यों का आवंटन बैंकों के ऋणी के.सी.सी धारक सदस्यों के अनुपात में किया जाना प्रस्तावित है। जिलेवार/केन्द्रीय सहकारी बैंकवार लक्ष्यों का निर्धारण एवं आवश्यकतानुसार पुर्ननिर्धारण राज्य के सहकारिता विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

9. योजना की अवधि:-

- 9.1 योजनान्तर्गत साख सीमा के रूप में स्वीकृत ऋण राशि का चुकारा एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व किया जाना होगा। ऋणी आगामी वर्ष हेतु साख सीमा का नवीनीकरण करवा सकता है।
- 9.2 राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्षों के बजट में भी निरन्तर ब्याज अनुदान हेतु आवश्यक प्रावधान किया जायेगा।

10. राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान एवं अनुदान भुगतान की प्रक्रिया:-

- 10.1 योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में वितरित ऋणों का समय पर चुकारा करने वाले गोपालक ग्रामीण परिवारों को अधिकतम 10.25 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज अनुदान देय होगा। ब्याज अनुदान राशि की गणना अधिकतम राशि रुपये 1.00 लाख तक की जावेगी।

Signature valid

Digitally signed by Dinesh Kumar
RajKaj R Jangid
825555
Designation : Joint Secretary
Date: 2024.06.24 17:08:15 IST
Reason: Approved

- 10.2 योजनान्तर्गत अनुमत गतिविधियों हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार/नाबार्ड की योजनाओं में वर्ष 2024-25 में स्वीकृत ऋणों का समय पर चुकारा करने पर पात्र चयनित परिवारों को अधिकतम राशि रुपये 1.00 लाख पर अधिकतम 10.25 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान देय होगा।
- 10.3 केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा शीर्ष सहकारी बैंक को दावों का प्रस्तुतीकरण तिथियाँ निम्नानुसार होंगी:—

क्र. सं.	क्लेम की अवधि	शीर्ष सहकारी बैंक को प्रस्तुत करने की तिथि
1.	दिनांक 01.04.2024 से 31.08.2024 तक प्राप्त वसूली के दावें	07.09.2024
2.	दिनांक 01.09.2024 से 31.03.2025 तक वितरित ऋणों के दावे - दिनांक 01.09.2024 से 30.09.2024 तक प्राप्त वसूली के दावें - दिनांक 01.10.2024 से 31.10.2024 तक प्राप्त वसूली के दावें - दिनांक 01.11.2024 से 30.11.2024 तक प्राप्त वसूली के दावें - दिनांक 01.12.2024 से 31.12.2024 तक प्राप्त वसूली के दावें - दिनांक 01.01.2025 से 31.01.2025 तक प्राप्त वसूली के दावें - दिनांक 01.02.2025 से 28.02.2025 तक प्राप्त वसूली के दावें - दिनांक 01.03.2025 से 31.03.2025 तक प्राप्त वसूली के दावें	07.10.2024 07.11.2024 07.12.2024 07.01.2025 07.02.2025 07.03.2025 07.04.2025
3.	दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के इकजाई दावे।	दिनांक 30.04.2025 (इकजाई दावा)

- 10.4 शीर्ष सहकारी बैंक द्वारा राज्य सरकार को दावें प्रस्तुत करने एवं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत दावों के विरुद्ध ब्याज अनुदान की राशि जारी करना:—

क्र. सं.	क्लेम की अवधि	शीर्ष सहकारी बैंक द्वारा राज्य सरकार को दावें प्रेषित करने की तिथि	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत दावों के विरुद्ध ब्याज अनुदान की राशि जारी करने की तिथि
1.	दिनांक 01.04.2024 से 31.08.2024 तक प्राप्त वसूली के दावे	15.09.2024	30.09.2024
2.	दिनांक 01.09.2024 से 31.03.2025 तक प्राप्त वसूली के दावे - दिनांक 01.09.2024 से 30.09.2024 तक प्राप्त वसूली के दावें - दिनांक 01.10.2024 से 31.10.2024 तक प्राप्त वसूली के दावें	15.10.2024 15.11.2024	31.10.2024 30.11.2024

Signature valid

Digitally signed by Dinesh Kumar RajKaj R Jangid
825555 Designation : Joint Secretary
Date: 2024.06.24 17:08:15 IST
Reason: Approved

• दिनांक 01.11.2024 से 30.11.2024 तक प्राप्त वसूली के दावें	15.12.2024	31.12.2024
• दिनांक 01.12.2024 से 31.12.2024 तक प्राप्त वसूली के दावें	15.01.2025	31.01.2025
• दिनांक 01.01.2025 से 31.01.2025 तक प्राप्त वसूली के दावें	15.02.2025	28.02.2025
• दिनांक 01.02.2025 से 28.02.2025 तक प्राप्त वसूली के दावें	15.03.2025	31.03.2025
• दिनांक 01.03.2025 से 31.03.2025 तक प्राप्त वसूली के दावें	15.04.2025	अनुमानित ब्याज अनुदान राशि अग्रिम रूप से दिनांक 31.03.2025 तक एवं वास्तविक समायोजन दिनांक 30.04.2025 तक

- 10.5 वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंकों द्वारा राशि का समायोजन कर 30 दिवस में बैंकों के स्तर पर यदि कोई अनुपयोगी ब्याज अनुदान राशि रहती है तो राज्य सरकार को लौटा दी जावेगी। इसी प्रकार यदि बैंकों को अतिरिक्त अनुदान राशि की आवश्यकता है तो राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिवस में राशि बैंकों को उपलब्ध करवा दी जावेगी।

11. ऋण की सुरक्षा :-

- 11.1 ऋण से सृजित चल एवं अचल सम्पत्तियों पर बैंक का भार दर्ज करवाना होगा।
- 11.2 इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले सभी ऋण Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprise (CGTMSE) के अन्तर्गत शामिल किये जावेंगे। Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprise (CGTMSE) को दी जाने वाली क्रेडिट गारण्टी फीस, जो कि 0.85 प्रतिशत से 1.0 प्रतिशत तक होती है, जिस पर पृथक से जी.एस.टी. भी देय है, का भुगतान राज्य सरकार द्वारा ऋणदाता संस्थान को वितरित ऋण के ब्याज अनुदान के साथ किया जायेगा।
- 11.3 ऐसे सहकारी बैंक जिन्हे Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprise (CGTMSE) से Member Lending Institution मान्यता नहीं प्राप्त होती है/कवरेज मिलना प्रारम्भ नहीं हो पाता है, द्वारा वितरित किये गये ऋणों की सुरक्षा हेतु ऋण राशि के 1.50 गुणा मूल्य की स्थायी सम्पत्ति यथा भूमि, भवन आदि ऋणी द्वारा बैंक को रहन रखनी होगी एवं पर्याप्त पूंजी धारक व बैंक को स्वीकार्य दो व्यक्तियों की जमानत आवश्यक होगी।
- 11.4 व्यवसाय की समस्त चल एवं **अचल सम्पत्तियों** पर बैंक का हाईपोथिकेशन चार्ज/ **भार दर्ज** करवाया जावेगा।
- 11.5 ऋणी को बैंक के पोस्ट डेटेड चैक प्रस्तुत करने होंगे।
- 11.6 ऋणी व जमानतदारों को न्यूनतम एक शेयर क्रय कर ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्य बनना होगा।
- 11.7 ऋण से सृजित सम्पत्तियों का बीमा करवाया जाएगा। यदि गोपालक के पास पूर्व में पशु है एवं उनकी बीमा नहीं किया हुआ है तो ऋण की अवधि हेतु पशुओं का बीमा भी सुनिश्चित किया जाएगा।

Signature valid
Digitally signed by Dinesh Kumar Jangid
RajKaj Ro 825555
Designation : Joint Secretary
Date: 2024.06.24 17:08:15 IST
Reason: Approved
Page 5 of 7

- 11.8 ऋणी को ऋण राशि की समकक्ष राशि का जीवन बीमा करवाना होगा। सहकारी बैंक स्तर पर जीवन बीमा योजना प्रचलन में होने पर ऋणी द्वारा प्रीमियम का भुगतान कर जीवन बीमा कवर प्राप्त किया जावेगा।
- 11.9 डेयरी सहकारी समिति के व्यवस्थापक द्वारा ऋण की वसूली में सहयोग प्रदान किया जावेगा।

12. आवश्यक दस्तावेज:-

- 12.1 आवेदक को ऋण आवेदन-पत्र के साथ केवाईसी हेतु वांछित समस्त मूल दस्तावेज मय स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के प्रस्तुत करने होंगे।
- 12.2 आवेदक को योजनान्तर्गत अनुमत गतिविधियों हेतु लागत का ब्यौरा मय कोटेशन आदि के बैंकों की आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत करने होंगे।
- 12.3 गोपालक द्वारा जिस स्थानीय डेयरी सहकारी समिति को दूध का विक्रय किया जाता है, से ऋण का अनुशंसा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 12.4 ऋण स्वीकृति उपरांत बैंकों द्वारा स्वयं के स्तर से निर्धारित दस्तावेज प्राप्त किये जावेंगे। मुख्य दस्तावेज निम्नानुसार होंगे:-
- ऋण स्वीकारोक्ति पत्र।
 - ऋण अनुबन्ध
 - मांग वचन पत्र
 - समय वचन पत्र
 - हाईपोथिकेशन डीड
 - जमानत नामा (आवश्यक होने पर)
 - उपयोगिता प्रमाण पत्र
 - अविरल पत्र
 - अन्य दस्तावेज शाखा की आवश्यकतानुसार।
 - ECS Mandate
 - बैंक के पोस्ट डेटेड चेक।

13. अन्य बिन्दु:-

- 13.1 बैंक को बिना कोई कारण बताये ऋण अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 13.2 बैंक द्वारा ऋण के उपयोग के प्रति संतुष्ट नहीं होने पर सम्पूर्ण राशि के एकमुश्त चुकारे हेतु ऋणी को मांग का नोटिस जारी किया जाकर नियमानुसार वसूली की जा सकेगी।
- 13.3 (अ) जिला स्तर पर मासिक आधार पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नांकित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित कर योजना की क्रियान्विति की समीक्षा की जावेगी:-
- I. जिला कलेक्टर – अध्यक्ष
 - II. प्रबन्ध निदेशक केन्द्रीय सहकारी बैंक
 - III. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ
 - IV. प्रतिनिधि, पशुपालन / गोपालन विभाग
 - V. प्रतिनिधि, जिला डेयरी संघ
 - VI. नोडल अधिकारी, केन्द्रीय सहकारी बैंक-सदस्य

Signature valid

Digitally signed by Dinesh Kumar Jangid
RajKaj Ro
825555
Designation : Joint Secretary
Date: 2024.06.24 17:08:15 IST
Reason: Approved

(ब) राज्य स्तर पर सहकारिता विभाग द्वारा माननीय सहकारिता मंत्री महोदय या शासन सचिव, सहकारिता महोदय की अध्यक्षता में त्रैमासिक आधार पर गुणवत्ता पूर्ण ऋण वितरण एवं वसूली की समीक्षा की जावेगी।

- 13.4 योजनान्तर्गत राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली ब्याज अनुदान राशि में 1.50 प्रतिशत राशि ग्राम सेवा सहकारी समिति को मार्जिन के रूप में उपलब्ध करवायी जावेगी।
- 13.5 योजना में परिवर्तन/संशोधन का अधिकार राज्य सरकार के सहकारिता विभाग/वित्त विभाग में निहित होगा।

* * * * *

Signature valid

Digitally signed by Dinesh Kumar Jangid
RajKaj Ro
825555
Designation : Joint Secretary
Date: 2024.06.24 17:08:15 IST
Reason: Approved
Page 7 of 7